न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
003/2017 (GCMS 2017/00141)	04.01.2017	10.02.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. संजय पटवा पुत्र श्री प्रभुलाल पटवा (विक्रेता) मैसर्स श्री जी नमकीन, सेक्टर नम्बर–5, एफ–153 गांधी नगर चितौडगढ राजस्थान।
   निवासी सेक्टर नम्बर–5, एफ–153 गांधी नगर चितौडगढ राजस्थान।
2. प्रभुलाल पटवा पुत्र श्री रामचन्द्र पटवा (मालिक) मैसर्स श्री जी नमकीन, सेक्टर नम्बर–5, एफ–153 गांधी नगर चितौडगढ राजस्थान।
   निवासी सेक्टर नम्बर–5, एफ–153 गांधी नगर चितौडगढ

अप्रार्थीगण

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक देवेन्द्र सिंह दिनांक 21.07.2016 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इनको राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था। जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छायाप्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.07.2016 को समय 04.00 पीएम पर मैसर्स श्री जी नमकीन, सेक्टर नम्बर–5, एफ–153 गांधी नगर वितौड़गढ़ राजस्थान पर पहुंचे। वहां पर संजय पटवा पुत्र प्रभुलाल पटवा उक्त फर्म में विक्रेता की हैसियत से खाद्य पदार्थ नमकीन का निर्माण आम जनता को विक्रय हेतु कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता से वर्ष 2016 का खाद्य लाईसेन्स प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, जो कि विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात श्री महेन्द्र सिंह एवं श्री प्रहलाद की उपस्थिति में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपना परिचय

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:10 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्र विक्रेता संजय पटवा को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर एक लोहे की बडी परात में लगभग 1 क्विन्टल नमकीन तैयार की हुई रखी पाई गई। विक्रेता ने बताया कि उक्त नमकीन का निर्माण रिफाइण्ड पाम ऑयल, बेसन आदि से निर्मित की गई है। व्यापारी ने बताया कि उक्त नमकीन आम जनता को उपभोग एवं विक्रय हेतु तैयार की गई है एवं विक्रय की जा रही है। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन का नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V-A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त नमकीन जो कि लगभग 1 क्विन्टल थीं मे से 2 किलोग्राम नमकीन वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 220/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। साथ ही फर्म श्री जी नमकीन द्वारा प्रस्तुत विक्रेता के पहचान पत्र की छायाप्रति (आधारकार्ड) व खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति भी संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा नमकीन को चार बराबर भागों में बाट कर चार प्लास्टिक जारो मे अलग–अलग भरकर ढक्कन लगाकर अच्छी तरह एयर टाईट बन्द किया। उक्त नमुना भागो हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-701** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आ एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पुर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमुने एक भाग (चोथा भाग) को एक्रीएटेड लैब मे जॉच कराने की जानकारी मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपडी किया गया। उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:10 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/4645 दिनांक 07.09.2016 द्वारा ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त नमकीन का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि सब्सटेण्डर्ड होना पाया गया। जाँच रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। फर्म श्री जी नमकीन को प्राप्त जांच रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित की गई, जिसकी मूल पोस्टल रसीद संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 4645 दिनांक 07.09.2016 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चितौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/6185 दिनांक 29.12.2016 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया हैं, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। अतः में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना कि गई कि उक्त प्रकरण में अभियुक्तों ने सब्सटेण्डर्ड नमकीन का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित हैं। अतः आवेदन न्याय निर्णयन हेतु श्रीमान को प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्तगणो को दण्डित करावे।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 22.02.2018 को अप्रार्थीगण की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया एवं जवाब परिवाद पेश किया। अपने जवाब परिवाद में अप्रार्थीगण ने परिवाद के समस्त तथ्यों से इन्कार कर बताया कि दिनांक 21.7.2016 को मैसर्स श्रीजी नमकीन सेक्टर नं. 5 एफ 153 गांधीनगर चितौडगढ पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पहुचने एवं वहां [illegible] अभियुक्त संजय द्वारा इस फर्म मे विकेता की हैसियत से खाद्य पदार्थ नमकीन का निर्माण आम जनता को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:10 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विक्रय करने हेतु किये जाने एवं अपने कब्जे मे रखे हुए होने का तथ्य गलत अंकित किया है । एवं मौके पर विक्रेता से वर्ष 2016 का खाद्य लाईसेंस प्रस्तुत करने हेतु कहने का तथ्य भी मन मकसुद अंकित किया है, एवं मौके पर गवाहान महेन्द्र सिंह एवं प्रहलाद की उपस्थिति मे आवेदक ने अपना परिचय पत्र विक्रेता संजय पटवा को दिखाकर परिचय दिये जाने एवं विकेता संजय से परिचय लिये जाने एवं तत्पश्चात विक्रेता व गवाहन की उपस्थिति मे उक्त फर्म मेसर्स श्रीजी नमकीन का निरीक्षण करने पर लोहे की बड़ी परात मे लगभग 1 क्विटल नमकीन तैयार की हुई रखी पायी जाने एवं उक्त नमकीन का निर्माण रिफाइण्ड पाम ऑयल, बेसन आदि से निर्मित की जाने की बात विकेता द्वारा बतायी जाने एवं इस नमकीन का उपयोग आम जनता को विक्रय किये जाने हेतु तैयार की जाने एवं विकय किये जाने की बात बताने का तथ्य आवेदक ने गलत व मन मकसुद अंकित किया है। आवेदक ने यह तथ्य भी गलत अंकित किया है कि आवेदक को मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन का नमूना लेने हेतु विक्रेता संजय को अवगत कराया गया हो तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म 5 ए की प्रति गवाहान की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता संजय को देकर प्राप्ति रसीद ली हो। आवेदक ने इस चरण में वर्णित सारे तथ्य झुठे व मनगढन्त अंकित किये है। दिनांक 21.7.2016 को आवेदक द्वारा सेक्टर नं. 5 एफ – 153 गांधीनगर चितौड़गढ़ पर पहुच कर नमूना लेने एवं वहा पर नमकीन का निर्माण कर विक्रेता संजय पटवा द्वारा विक्रय किये जाने का तथ्य नितान्त असत्य है। मैसर्स श्रीजी नमकीन का उक्त स्थान से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। दिनांक 21.7.2016 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विभाग से मैसर्स श्रीजी नमकीन के व्यवसाय स्थल पर कुछ अधिकारी आये थे एवं लाईसेंस के बारे मे जांच किये जाने की पुछताछ की एवं अभियुक्त संजय पटवा के कुछ छपे हुए खाली फार्गो पर हस्ताक्षर करवाये थे एवं उन अधिकारियों द्वारा अभियुक्त संजय पटवा को यह बताया गया कि चितौडगढ मे सभी खाद्य लाईसेंस धारियों को सर्वे की जा रही है और यह बात कहकर संजय पटवा के हस्ताक्षर खाली फार्मस पर करवाये थे नमकीन का नमूना लेने एवं इस बाबत कोई पुछताछ करने के सारे तथ्य गलत अंकित किये है। आवेदक द्वारा जांच हेतु दो किलोग्राम नमकीन खरीदने एवं 220/– रूपये विक्रेता को देने इत्यादि का कथन गलत अंकित किया है । आवेदक ने खाली फार्मस पर सर्वे के बहाने कराये गये हस्ताक्षरों से इन फार्मस का दुरूपयोग किया गया है । प्रार्थना पत्र की इस कलम मे सारे तथ्य गलत व झुठे अंकित किये है। फर्म श्री जी नमकीन को जांच रिपोर्ट की कोई प्रति प्राप्त नही हुई है। अतः प्रार्थना है कि जवाब अभियुक्त गण स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक का आवेदन मय हर्जे–खर्चे निरस्त फरमाया जावे।

दिनांक 10.02.2021 को अधिवक्ता विपक्षी द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। अपनी बहस पत्रावली में विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने जवाब परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि मेसर्स श्री जी नमकीन का निरीक्षण करने पर लोहे की बड़ी परात मे लगभग 1 क्विटल नमकीन तैयार की हुई रखी पायी जाने एवं उक्त नमकीन का निर्माण रिफाइण्ड पाम ऑयल, बेसन आदि से निर्मित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:10 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की जाने की बात विकेता द्वारा बतायी जाने एवं इस नमकीन का उपयोग आम जनता को विक्रय किये जाने हेतु तैयार की जाने एवं विकय किये जाने की बात बताने का तथ्य आवेदक ने गलत व मन मकसुद अंकित किया है। दिनांक 21.7.2016 को आवेदक द्वारा सेक्टर नं. 5 एफ – 153 गांधीनगर चितौड़गढ़ पर पहुच कर नमूना लेने एवं वहा पर नमकीन का निर्माण कर विक्रेता संजय पटवा द्वारा विक्रय किये जाने का तथ्य नितान्त असत्य है। मैसर्स श्रीजी नमकीन का उक्त स्थान से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। दिनांक 21.7.2016 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विभाग से मैसर्स श्रीजी नमकीन के व्यवसाय स्थल पर कुछ अधिकारी आये थे एवं लाईसेंस के बारे मे जांच किये जाने की पुछताछ की एवं अभियुक्त संजय पटवा के कुछ छपे हुए खाली फार्गो पर हस्ताक्षर करवाये थे एवं उन अधिकारियों द्वारा अभियुक्त संजय पटवा को यह बताया गया कि चितौडगढ मे सभी खाद्य लाईसेंस धारियों को सर्वे की जा रही है और यह बात कहकर संजय पटवा के हस्ताक्षर खाली फार्मस पर करवाये थे नमकीन का नमूना लेने एवं इस बाबत कोई पुछताछ करने के सारे तथ्य गलत अंकित किये है। अतः जवाब अभियुक्तगण स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक का आवेदन मय हर्जे–खर्चे निरस्त फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस समाप्त की। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात को गहनता पूर्वक परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। उक्त प्रश्नगत खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने की सूचना निर्धारित प्रारुप में फार्म नंबर **V-A** में विपक्षी संख्या 1 को दी गई है जिसकी पुष्टि फार्म नंबर **V-A** से होती है। उस पर विपक्षी के हस्ताक्षर अंकित है। नमूना खरीद बिल/कैश मेमों पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर विक्रेता के रूप में अंकित है इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ अप्रार्थी संख्या 1 से क्रय किया गया है। फर्द रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त फर्द रिपोर्ट मौके पर दिनांक 21.07.2016 को बनाई गई है उस पर विपक्षी संख्या 1 के दिनांक युक्त हस्ताक्षर अंकित है। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला से रिपोर्ट संख्या **LS 392/Act/2016/426 Dated 05-08-2016** प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त रिपोर्ट विपक्षी संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड डाक संख्या **RR522620565IN** से प्रेषित की गई है जिसकी पुष्ठि पत्र एवं पोस्टल रसीद से होती है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण के प्रस्तुत जवाब परिवाद के समस्त तथ्यों को आवेदक द्वारा आवेदन में दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित कराया गया है एवं उक्त समस्त दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध होकर रिकार्ड है, ऐसी स्थिति विपक्षीगण के प्रस्तुत जवाब परिवाद के संबंध में कोई भी ठोस दस्तावेज विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतुस्त दस्तावेजी साक्ष्य से हम संतुष्ट है, एवं प्रकरण की किसी प्रकार की अतिरिक्त शहादत की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसके साथ ही हमने खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:10 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या **LS 392/Act/2016/426 Dated 05-08-2016** का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था, जो कि एफएसएस एक्ट 2006 के अनुसार सब्स्टेण्डर्ड होना होना पाया गया। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

ANALYSIS REPORT---

(i) Sample description:- The Sample contained in a pet jar.

(11) Physical appearance - Yellowish and solid mass in appearance.

(iii) Label :- Loose Sample of Namkeen in Prepare in Ref. Palm Oil. As per form no. VI.

Opinion: The sample Namkeen Prepare in Ref. Palm Oil) bearing code no al serial no.AM-TOI of Designated officer (Food Safety Cum CM&H.O of District Chittorgarh Is sub-standard us Butyrorefractometer reading at Scoretracted far is does not meet as per the prescribeul standards for plam oil as per Food Safety and Standards (food products standards and food additives Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006 .

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zx)** के तहत सब–स्टेन्डर्ड का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। यह सही है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त अवमानक खाद्य पदार्थ विक्रय किया जा रहा था। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगणों ने सब स्टेन्डर्ड नमकीन का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 संजय पटवा पुत्र प्रभुलाल पटवा (विक्रेता) मैसर्स श्री जी नमकीन, सेक्टर नम्बर–5, एफ–153 गांधी नगर चितौडगढ राजस्थान। निवासी सेक्टर नम्बर–5, एफ–153 गांधी नगर चितौडगढ राजस्थान, एव ंविपक्षी संख्या 2 प्रभुलाल पटवा पुत्र रामचन्द्र पटवा (मालिक) मैसर्स श्री जी नमकीन, सेक्टर नम्बर–5, एफ–153 गांधी नगर चितौडगढ राजस्थान। निवासी सेक्टर नम्बर–5, एफ–153 गांधी नगर चितौडगढ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अधिनियम के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:10 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.

Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त संख्या 1 श्री संजय पटवा पुत्र प्रभुलाल पटवा (विक्रेता) मैसर्स श्रीजी नमकीन, सेक्टर नम्बर–5, एफ–153 गांधी नगर चितौडगढ राजस्थान, निवासी सेक्टर नम्बर–5, एफ–153 गांधी नगर चितौडगढ राजस्थान, को 20,000/– रूपये अक्षरे बीस हजार रूपये एव अभियुक्त संख्या 2 श्री प्रभुलाल पटवा पुत्र रामचन्द्र पटवा (मालिक) मैसर्स श्री जी नमकीन, सेक्टर नम्बर–5, एफ–153 गांधी नगर चितौडगढ राजस्थान, निवासी सेक्टर नम्बर–5, एफ–153 गांधी नगर चितौडगढ़ को 20,000/– रूपये अक्षरे बीस हजार रूपये अर्थात कुल 40,000/– रूपये अक्षरे चालीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **10.02.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:10 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official